मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 723/कार्या.उपा./18 दिनांक : 15-5-18

कार्यालय आदेश

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित की गयी समस्त श्रेणी की सम्पत्तियाँ आवंटी द्वारा देय किश्तों की ससमय अदायगी न किये जाने के कारण डिफाल्ट हो जाती है, जिनको नियमानुसार प्रकिया के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की निरस्तशुदा सम्पतियों की बहाली हेतु आवंटी द्वारा आवेदन किये जाने की समय सीमा निरस्तीकरण की सूचना जारी किये जाने की दिनांक से एक माह नियत है।

वर्तमान में रियल स्टेट की मंदी के कारण प्राधिकरण की सम्पत्तियों की मांग बहुत कम है। हाल ही में निरस्तशुदा रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु पंजीकरण खोलकर उक्त सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने का प्रयास किया गया था, जिसके आशानुकूल परिणाम नहीं निकले। नित–प्रतिदिन आबंटित सम्पत्तियों के रिफन्ड् लिये जाने के भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिफाल्ट होने के कारण निरस्तशुदा सम्पत्तियों की बहाली हेतु आवेदन दिये जाने की समय–सीमा के सम्बन्ध में निम्नवत आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. कतिपय निरस्तशुदा सम्पत्तियों के निरस्त होने की दिनांक से न्यूनतम 2 माह उपरांत ही पंजीकरण अथवा नीलामी प्रकिया से निस्तारण किये जाने का प्रयास किया जाये।
2. निरस्त सम्पत्ति के आवंटी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बहाली किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में उक्त सम्पत्ति को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार प्रचलित वर्तमान दर पर ही बहाल किया जाये।
3. सम्पत्ति बहाली हेतु आवेदन दिये जाने की कतिपय समय सीमा, जो की पूर्व आदेशों के क्रम में एक माह नियत की गयी है, को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए, निरस्त सम्पत्ति का प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण/नीलामी या अन्य किसी प्रकार से युक्ति–युक्त निस्तारण किये जाने से पूर्व बहाली का आवेदन प्राप्त होने पर सुसंगत नियम व शर्तों के अधीन बहाली (रेस्टोरेशन) की कार्यवाही की जायेगी।
4. प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्युल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण के उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 108 वीं बैठक दिनांक–07.12.2016 में लिये गये निम्न निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी–
   (i) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावद्यिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाये।
   (ii) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपि :

1. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

15/5/18

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।